पत्र संख्या-जी0एस0टी0/2023-24/ 418 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक- 30, अगस्त, 2023

समस्त
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1,
एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0),
ज्वाइन्ट कमिश्नर, (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय से पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या 207/2223022 दिनांक 11-07-2022 जो धारा 54 के अन्तर्गत पारित रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी के संबंध विषयक है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।इस परिपत्र के द्वारा परिपत्र संख्या-जी0एस0टी0/2122014 दिनांक 09-07-2021- जिसके माध्यम से मेंथा ऑयल एवं उसके उत्पाद के निर्यातक व्यापारियों को स्वीकृत किये गये जी0एस0टी0 रिफण्ड की स्क्रूटनी के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे- को अतिक्रमित करते हुए बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत निम्नवत निर्देश दिये गये हैं-

1. वर्ष 2017-18 से प्राप्त होने वाले रिफण्ड प्रार्थना पत्रों में निहित धनराशि एवं उसके निस्तारण सम्बन्धी उपलब्ध डाटा के आधार पर रिफण्ड स्क्रूटनी का एक मॉडल आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय द्वारा विकसित किया गया है। स्वीकृत रिफण्ड प्रार्थना पत्र में निहित धनराशि के आधार पर जोन एवं सम्भाग में तैनात एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0), ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0) की लॉगइन पर स्क्रूटनी हेतु उपलब्ध है।
2. रू0 दो करोड़ से अधिक की धनराशि के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा अपनी-अपनी लॉगइन पर उपलब्ध मामलों में की जाएगी।

3. रू0 पचास लाख से अधिक परन्तु रू0 दो करोड़ से कम की धनराशि के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा) द्वारा अपनी-अपनी लॉग-इन पर उपलब्ध मामलों में की जाएगी।

परिपत्र संख्या 207/2223022 दिनांक 11-07-2022 में निम्नवत संशोधन किया जाता है-

I. ज्वाइण्ट कमिश्नर (कारपोरेट) के द्वारा रू0 पचास लाख से अधिक के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) द्वारा अपनी-अपनी लॉगइन पर उपलब्ध मामलों में की जाएगी।

II. इसी प्रकार मुख्यालय स्तर पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (ऑयल सेक्टर) द्वारा रू0 पचास लाख से अधिक की धनराशि के स्वीकृत रिफण्ड आदेशों की स्क्रूटनी मुख्यालय पर नियुक्त एडीशनल कमिश्नर (विधि) द्वारा किया जायेगा।

परिपत्र संख्या 207/2223022 दिनांक 11-07-2022 उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है जिसे उक्त संशोधन की सीमा तक पढ़ा एवं समझा जाए।

30/8/23

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प0प0सं0 व दिनांक-उक्त।

प्रतिलिपि- ज्वाइंट कमिश्नर (आई.टी.) राज्य कर , मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर सुसंगत मेन्यू में अपलोड कराने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (जी0एस0टी0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।